

दिनांक 12.05.2026 को आयोजित "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :-

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 12.05.2026 को "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें उपस्थित अधिकारियों/सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा संचालित योजनाओं की अध्यक्षता प्रगति प्रस्तुत की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री मनीष गंगवार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
2. श्री मनोज कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
3. श्री मो० शफीक, सहायक अभियन्ता, डी०डब्ल्यू०एस०एम०, पीलीभीत।
4. श्री मो० नासिर खां, उप-परियोजना प्रबन्धक, मै० टी०पी०आई० एजेन्सी, पीलीभीत।
5. श्री विशाल सिंह, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, पीलीभीत।
6. श्री के० रमेश, परियोजना प्रबन्धक, मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, पीलीभीत।
7. श्री धीरेन्द्र कुमार, परियोजना प्रबन्धक, मै० विश्वराज इन्वायरमेंट प्रा०लि०, पीलीभीत।

बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये :-

1- अनापत्ति प्रमाण पत्र :

जनपद में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम (फेज-2 एवं फेज-3) के अन्तर्गत 484 नग पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 483 नग पाइप पेयजल योजनाओं में कार्य प्रगति पर है एवं 01 नग परियोजना विकास खण्ड- पूरनपुर की सिंघाड़ा उर्फ टाटरगंज पाइप पेयजल योजना में भारत सरकार के वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने कारण कार्य बाधित है, जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु वन विभाग से Wildlife Clearance एवं Forest Clearance की NOC प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- मै० विश्वराज इन्वायरमेंट लि०, नागपुर द्वारा भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर आवेदन किया गया था। Wildlife Clearance का आवेदन भारत सरकार के Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अधीन राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC NBWL) के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर बोर्ड द्वारा Wildlife Clearance की अनुमति प्रदान करने हेतु धनराशि दुधवा टाईगर रिजर्व के नाम जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसको कार्यदायी संस्था द्वारा जमा कर दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है।

(कार्यवाही -अधि०अभि० जल निगम(ग्रामीण)/परि०प्रब०, मै० विश्वराज)

2- शिरोपरि जलाशय (OHT) का कार्य :

जनपदान्तर्गत 484 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 244 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण है। शेष 258 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसको माह दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण करने के सम्बन्ध में उपस्थित दोनों एजेन्सियों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत को निर्धारित अवधि में दोनों एजेन्सियों के माध्यम से शिरोपरि जलाशय के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही निर्मित 244 नग शिरोपरि जलाशय की गुणवत्ता की जाँच भी कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही - अधि०अभि० जल निगम(ग्रामीण)/परि०प्रब०, मै० पी०एन०सी०/परि०प्रब०, मै० विश्वराज)

3- सड़क पुर्नस्थापना कार्य :

जनपदान्तर्गत पाइप लाईन बिछाने हेतु काटी/तोड़ी गयी सड़कों के सापेक्ष 86 प्रतिशत पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं एवं अस्थाई सड़क, जो वर्षा के कारण बैठ गयी है, उनका भी पुर्नस्थापना का कार्य पुनः कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही - अधि०अभि० जल निगम(ग्रामीण)/परि०प्रब०, मै० पी०एन०सी०/परि०प्रब०, मै० विश्वराज)

4- नियमित जलापूर्ति :

जनपदान्तर्गत 484 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 155 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है, जिस हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक तक नियमित जलापूर्ति वाली परियोजनाओं में बढ़ौतरी करना सुनिश्चित करें। साथ ही वर्तमान में 155 नग नियमित जलापूर्ति की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही - अधि०अभि० जल निगम(ग्रामीण)/परि०प्रब०, मै० पी०एन०सी०/परि०प्रब०, मै० विश्वराज)

5- हर घर प्रमाणीकरण :

जनपदान्तर्गत 1191 नग ग्रामों के सापेक्ष 390 नग ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण कराया गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ ग्राम प्रधानों द्वारा हर घर जल सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे हैं, जिस कारण प्रगति पर सुधार नहीं हो पा रहा है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उन ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया है, जिससे उन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों से दूरभाष के माध्यम से वार्ता कर हर घर जल सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किये जाने हेतु निर्देशित किया जा सकें।

(कार्यवाही - अधि०अभि० जल निगम(ग्रामीण)/परि०प्रब०, मै० पी०एन०सी०/परि०प्रब०, मै० विश्वराज)

(राजेन्द्र कुमार श्रीवास)
मुख्य विकास अधिकारी,
पीलीभीत।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।

पत्रांक : ०१ / ५५ / ७ दिनांक: 12.05.2024

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, पीलीभीत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
3. परियोजना प्रबन्धक, मै० पी०एन०सी०- एस०पी०एम०एल० जे०वी०, पीलीभीत।
4. परियोजना प्रबन्धक, मै० विश्वराज इनवायरमेन्ट, पीलीभीत।

मुख्य विकास अधिकारी,
पीलीभीत।